समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 22 September 2026

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ एयर इंडिया का प्लेन, 242 यात्री थे सवार | जानिए एयर इंडिया का बयान।

Publisher

Published on 12 Jun 2025

242 यात्रियों को ले जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट टेकऑफ के दौरान क्रैश हुई, राहत कार्य जारी।

अहमदाबाद, 12 जून 2025: गुजरात के **अहमदाबाद एयरपोर्ट** पर एक **बड़ा विमान हादसा** सामने आया है। **एयर इंडिया की फ्लाइट AI171**, जो **अहमदाबाद से लंदन** गैटविक के लिए रवाना हो रही थी, टेकऑफ के दौरान एयरपोर्ट के पास ही क्रैश हो गई। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स शामिल थे।

क्या बोले एयर इंडिया ?

इस हादसे के तुरंत बाद एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने कहा: "अहमदाबाद-लंदन गैटविक उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI171 आज, 12 जून 2025 को एक दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस समय ज्यादा जानकारी का पता लगाया जा रहा है और अपडेट्स www.airindia.com पर साझा किए जाएंगे।"

राहत और बचाव कार्य तेज़

हादसे के तुरंत बाद **गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल** ने राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी घायलों को तत्काल इलाज मुहैया कराने का आदेश भी दिया।

वहीं केंद्रीय **गृहमंत्री अमित शाह** ने भी मुख्यमंत्री से बात की और **केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन** दिया।

मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड और एंबुलेसं

घटना स्थल पर **फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां** और **50 से अधिक एंबुलेसं** पहले ही पहुंच चुकी हैं। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। राहत दल लगातार यात्रियों को बचाने में जुटे हैं।

फ्लाइट मे थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री ?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, **गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी** भी इस फ्लाइट में सवार थे। हालांकि उनकी स्थिति के बारे में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। **एयर इंडिया** और प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, प्राथमिकता राहत और बचाव कार्य को दी जा रही है।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

---

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.